

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                    |                             |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| सं. 10] | दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940        | [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 712 |
| No. 10] | DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940 | [N.C.T.D. No. 712           |

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिनांक, 14 जनवरी, 2019

सं.फा. 8/2/2015/भू. एवं भव./एल.ए./8243.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस0ओ0 2740 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 तथा एस0ओ0 2004 (अ) दिनांक 21 जुलाई, 2015 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विधान सभा क्षेत्र की कॉलोनिओ में 250 एमएम व्यास से 710 एमएम व्यास की आंतरिक सीवर लाइन डालने और जोड़ने के लिये लिफ्ट स्टेशनों के निर्माण के सार्वजनिक कार्यों के लिये दिल्ली जल बोर्ड गोकुलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मिलन गार्डन तथा सबोली गड्डा में भूमि अधिग्रहण करना चाहता है जो जोन-3 में गोकुलपुर का भाग, यमुना विहार अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के प्रवाह क्षेत्र का एक भाग है, ये लिफ्ट स्टेशनों आन्तरिक सिविल प्रणाली में यमुना विहार सीवेज उपचार संयंत्र में डालने के लिये पम्प आउट करने हेतु अपेक्षित है, इससे यमुना नदी में सीवेज को सीधे गिरने पर नियंत्रण होगा। इस उद्देश्य के लिए खसरा नं0 11/2 तथा 2/23 की 38.85 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित की जानी है। यह राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीईएआर) को उपरोक्त भूमि के संबंध में दिनांक 14.1.2019 की अधिसूचना सं0 8/2/2015/भू0 एवं भवन/एलए/8230-40 के द्वारा राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन करने के लिए सामाजिक प्रभाव निर्धारण इकाई के रूप में अपना कार्य करने के लिये घोषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रभाव निर्धारण का मुख्य उद्देश्य स्टैक होल्डरों एवं जनता से जहां अपेक्षित हो, विचार विमर्श करना, सर्वेक्षण करना तथा जन सुनवाई करना है। सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना) के लिए समय अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छः माह की होगी और इसे वेबसाइट, पत्रक तथा जन सुनवाई द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में तथा जिला कलेक्टर, शाहदरा के कार्यालय में स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उसने नाम पर,  
तपन झा, उप-सचिव

## LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

### NOTIFICATION

Delhi, the 14<sup>th</sup> January, 2019

**F. No. 8/2/2015/L&B/LA/8243:**—In the exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O.2740(E) dated the 21<sup>st</sup> October, 2014, and S.O. 2004 (E) dated the 21<sup>st</sup> July, 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire the land for Delhi Jal Board at Milan Garden and Saboli Gaddha in Gokalpur Assembly Constituency for public purpose for construction of Lift Stations for providing, laying and jointing 250 mm diameter to 710 mm diameter Internal sewer line in colonies of Constituencies, part of Gokalpur in Zone-III, Yamuna Vihar Waste Water Treatment Plant Catchment area in Delhi. These lift stations are required to pump out the sewerage into internal sewer system for onward discharging at Yamuna Vihar Sewage Treatment Plant regarding treatment which would control the direct outfall of sewerage into river Yamuna. The land to be acquired for this purpose is 38.85 Sq. meter of Khasra No. 11/2 and 2/23. The National Council of Applied Economic Research (NCEAR) has been declared for commencement as Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification No. 8/2/2015/L&B/LA/8230-40 dated 14.01.2019.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and Public, Survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and (Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan) will be six months from date of issue of this notification and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in effective areas, and in the office of District Collector, Shahdara.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,  
National Capital Territory of Delhi,  
TAPAN JHA, Dy. Secy.